

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-2
संख्या- 335 / 9-2-2014-11(3) / 2007
लखनऊ: दिनांक: 11 जुलाई, 2014

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा-3 की उपधारा (1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त संबंधित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2- प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-2, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप से प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर प्राप्त होंगे।


अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) की धारा-3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल जनसंख्या, जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृषियेत्तर कार्यकलापों में सेवायोजन का प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यह अधिसूचित करते हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमायें नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 3-क की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार जिला बागपत में नगर पंचायत, खेकड़ा के रूप में घोषित किया गया है, भारत का संविधान के भाग 9-क के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से लघुत्तर नगरीय क्षेत्र होगा और उक्त लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए एक नगर पालिका परिषद गठित की जायेगी जिसे जिला बागपत में नगर पालिका परिषद, खेकड़ा के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची

उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा	नगर पंचायत खेकड़ा	गाटा संख्या- 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2658, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2951, 2955, 2956, 2961, 2962, 2964, 2977, 2978
पश्चिम दिशा से दक्षिण दिशा		2978, 2995, 2998, 2999, 3000, 3001, 3115, 3112, 3120, 3127, 3142, 3149, 3262, 3261, 3260, 3181, 3182, 3184,


		3250, 3249, 3248, 3316, 3315, 3314, 3362, 3413, 3413, 3416, 3418, 3453, 3554, 3582, 3567, 3558, 3557, 3556, 3555, 3544, 3595
दक्षिण दिशा से पूरब दिशा		3595, 3596, 3598, 3597, 2278, 2279, 2280, 2281, 2283, 2284, 2285, 2288, 2092, 2088, 2053, 2052, 2050, 2049, 2044, 2042, 2040, 1873, 1884, 1883, 1885, 1901, 1830, 1785, 1783, 1525, 1526, 1527, 1488, 1380
पूरब दिशा से उत्तर दिशा		1380, 1379, 1378, 1369, 1368, 1366, 1365, 1364, 359, 365, 366, 367, 368, 375, 376, 381, 382, 385, 398, 433, 432, 430, 425, 444, 445, 451, 472, 470, 614, 620, 1097, 1096, 1095, 1075, 1078, 1079, 1021, 1020, 1022, 1023, 1024, 1030, 1033, 1031, 963, 2460, 2461, 2462, 2463, 2472, 2471, 2470, 2469, 2490, 2513, 2512, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2633, 2632, 2631, 2630, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2603, 2604, 2600, 2605, 2606, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613


(अनीता सी० श्राम)
सचिव।

संख्या-335 (1) / 9.2.14, तददिनांक।

उपर्युक्त की अंग्रेजी प्रतिलिपि सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को सरकारी असाधारण गजट के आगामी अंक के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना को उपरोक्तानुसार सरकारी गजट में प्रकाशित कराकर इसकी 50 प्रतियाँ नगर विकास अनुभाग-2 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,


(यशवन्त राव)
विशेष सचिव।

संख्या- 335 (2)/9.2.14, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 2- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, बागपत को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना/आदेश को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने एवं दो समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 4- नगर पंचायत, खेकड़ा, जनपद-बागपत को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना/आदेश को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।
- 5- अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, खेकड़ा, जनपद-बागपत।
- 6- नगर विकास अनुभाग-1, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(यशवन्त राव)
विशेष सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
NAGAR VIKAS ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no 335 /9-2-2014-11(3)/2007, dated 11 July, 2014

Notification

No. 335/9-2-14-11(3)/2007
Lucknow: Dated- 11 July, 2014

The following draft notification, which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause(2) of Article 243 Q of the Consitution read with sub-section(1) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act 1916 (U.P.Act no. 2 of 1916), is hereby published for information to all concerned and with a view to invite objections and suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2- Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-2, Bapu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration, as are recieved within 15 days from the date of the publication of this notification in the Gazette.

DRAFT NOTIFICATION

In exercise of the powers under Article 243 Q of the Constitution of India read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act 1916(U.P.Act no.2 of 1916)

UO


the Governor having regard to the population, the density of population, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non agricultural activities and the economic importance is pleased to notify that the local area the limits of which is specified in the Schedule below and which has been declared as Nagar Panchayat Khekra in District Bagpat in accordance with the provisions of clause (b) of Sub section (3) of section 3-A of the said Act, shall be a smaller urban Area for the purposes of part IX A of the Constitution of India with effect from date of publications of this notification in the Gazette and there shall be constituted for the said smaller urban area a Municipal Council to be known as the Municipal Council Khekra in District Baghpat.

SCHEDULE

North to west direction	Nagar Panchayat Khekra	Plot No. 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2658, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2951, 2955, 2956, 2961, 2962, 2964, 2977, 2978
West to South direction		2978, 2995, 2998, 2999, 3000, 3001, 3115, 3112, 3120, 3127, 3142, 3149, 3262, 3261, 3260, 3181, 3182, 3184, 3250, 3249, 3248, 3316, 3315, 3314, 3362, 3413, 3416, 3418, 3453, 3554, 3582, 3567, 3558, 3557, 3556, 3555, 3544, 3595
South to East direction		3595, 3596, 3598, 3597, 2278, 2279, 2280, 2281, 2283, 2284, 2285, 2288, 2092, 2088, 2053, 2052, 2050, 2049, 2044, 2042, 2040, 1873, 1884, 1883, 1885, 1901, 1830, 1785, 1783, 1525, 1526, 1527, 1488, 1380

East to North direction	1380,	1379,	1378,	1369,	1368,	
	1367,	1366,	1365,	1364,	359,	365,
	366,	367,	368,	375,	376,	381,
	382,	385,	398,	433,	432,	430,
	425,	444,	445,	451,	472,	470,
	614,	620,	1097,	1096,	1095,	1075,
	1078,	1079,	1021,	1020,	1022,	1023,
	1024,	1030,	1033,	1031,	963,	2460,
	2461,	2462,	2463,	2472,	2471,	2470,
	2469,	2490,	2513,	2512,	2502,	2503,
	2504,	2505,	2506,	2507,	2633,	2632,
	2631,	2630,	2589,	2590,	2591,	2592,
	2593,	2603,	2604,	2600,	2605,	2606,
	2609,	2610,	2611,	2612,	2613	

By Order


(Aneeta C. Meshram)
Secretary.